

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

(करोड़ रुपए)

	2016-2017 बजट अनुमान
I. अनुदान/ऋण	60614.06
1 विशेष सहायता	9000.00
2 स्वायत्त परिषदों और संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों को अनुदान	1000.00
3 बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	2350.00
4 बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं-ऋण	12500.00
5 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल	900.00
6 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	795.00
7 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत स्कीमें	1400.00
8 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1250.00
9 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को सहायता	30619.06
10 अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	800.00
II. वित्त आयोग अनुदान	100646.36
1 अंतरण पश्च राजस्व घाटा अनुदान	41308.00
2 स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	48868.36
क. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	33870.52
ख. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	14997.84
3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए अनुदान सहायता	10470.00
4. अन्य वित्त आयोग अनुदान (सड़कों और पुलों का रखरखाव, राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं, पर्यावरण, अभिशासन, प्रारंभिक शिक्षा)	...
III. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें - कुल आवंटन	226820.70
क. मुख्य स्कीमों में प्रमुख	56186.65
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	38500.00
2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9500.00
3 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम	3917.89
4 अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम (वनबन्धु कल्याण योजना और जनजातीय बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम)	1759.22
5 पिछड़े वर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला स्कीम	1264.54
6 अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम	1245.00
क. अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1125.00
ख. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम	120.00
(ख) प्रमुख स्कीमें	168992.05
7 हरित क्रांति	12979.79
क. कृषोन्नति योजना	7579.79
ख. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5400.00
8 श्वेत क्रांति	1273.46
9 नीली क्रांति	575.34
10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	5717.13
क. हर खेत को पानी	500.00
ख. जल संसाधन मंत्रालय में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्कीमें	1377.13
ग. प्रति बूंद अधिक फसल	2340.00
घ. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	1500.00
11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000.00
12 राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	5000.00
13. स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए)	11300.00
क. एसबीए-ग्रामीण	9000.00
ख. एसबीए -शहरी	2300.00
14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	20037.00
क. एनएचएम : ग्रामीण और शहरी मिशन	19037.00
ख. एनएचएम : स्वास्थ्य और जन चिकित्सा में मानव संसाधन	600.00
ग. एनएचएम : आयुष	400.00
15 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुस्था योजना (आरएसएसवाई)	1500.00
16 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम)	28010.00
क. एनईएम : सर्व शिक्षा अभियान	22500.00
ख. एनईएम : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3700.00
ग. एनईएम : अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा	510.00
घ. एनईएम : राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	1300.00

विवरण - 16क

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

(करोड़ रुपए)

		2016-2017
		बजट अनुमान
17	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9700.00
18	एकीकृत बाल विकास स्कीम (अम्ब्रेला आईसीडीएस)	16119.90
	क. कोर आईसीडीएस	14000.00
	ख. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	862.90
	ग. मातृत्व लाभ कार्यक्रम (आईजीएमएसवाई)	400.00
	घ. किशोरियों हेतु योजना, सबला, केएसवाई	460.00
	ङ. एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम	397.00
19	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	20075.00
	क. पीएमएवाई - ग्रामीण	15000.00
	ख. पीएमएवाई - शहरी	5075.00
20	राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनएलएम)	3325.00
	क. एनएलएम - ग्रामीण आजीविका	3000.00
	ख. एनएलएम - शहरी आजीविका	325.00
21	वानिकी तथा वन्य जीव (एफ एंड डब्ल्यू एल)	755.02
	क. एफ एंड डब्ल्यू एल - हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन	155.01
	ख. एफ एंड डब्ल्यू एल - वन्य जीवों का समेकित विकास पर्यावास (बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना सहित)	500.00
	ग. एफ एंड डब्ल्यू एल - प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	100.01
22	शहरी नवीकरण मिशन (अमृत तथा 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का मिशन)	7295.50
23	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1753.90
24	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	625.01
25	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3950.00
	(ग) वैकल्पिक स्कीमें	1642.00
26	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	990.00
27	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	352.00
28	श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन	300.00
	कुल जोड़	388081.12

विवरण सं. 16क में ब.अ. 2016-17 में 28 युक्तियुक्त केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिए गए एक मुश्त अनुदानों की राशि, वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान तथा अन्य जारी की गई राशियों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को इस प्रकार युक्तियुक्त बनाया गया है कि उनकी संख्या अधिकतम 30 परिणाम आधारित स्कीमों तक सीमित रहे ताकि संसाधनों में अत्यधिक विरल वितरण पर रोक लगाई जा सके (नीति आयोग में गठित मुख्यमंत्रियों की उप समिति की सिफारिशों के अनुसार)। इस कथन में 28 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में से प्रत्येक के अंतर्गत किए गए कुल आवंटन (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न) का उल्लेख किया गया है।

विवरण 16क में केवल ब.अ. 2016-17 के आवंटनों का ही वर्णन किया गया है क्योंकि अभी हाल में युक्तियुक्त की गई स्कीमों और पूर्ववर्ती स्कीमों के बीच एकेक अनुरूपता स्थापित करना तत्काल संभव नहीं है। मंत्रालयों/विभागों तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के आयोजना परिव्यय से संबंधित भूतकालिक आंकड़े "बजट एक झलक" दस्तावेज के संगत विवरणों में दर्शाए गए हैं।

नोट :

स्कीमों तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच मैपिंग नीचे सूचित किया गया है :-

क्रम	सं.	
I	8	- जनजातीय कार्य मंत्रालय
I	9	- ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों को सीआरएफ से अंतरित) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (राज्यों को सीआरएफ से अंतरित)
I	10	- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
III	6 ख	- स्कूल शिक्षा विभाग
III	10 क, ख	- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
III	10 ग	- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
III	10 घ	- भू-संसाधन विभाग
III	13 क	- ग्रामीण विकास विभाग
III	13 ख	- शहरी विकास मंत्रालय
III	14 ग	- आयुष मंत्रालय
III	16 घ	- उच्चतर शिक्षा विभाग
III	19 क	- ग्रामीण विकास मंत्रालय
III	19 ख	- आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
III	27	- जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालय